मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड–II, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्र5962/22/वि–12/Tech/QC/T-4/N-52/1/2013 भोपाल, दिनांक 23/3/2013

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, ...
(म.प्र.)।

विषय– निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में।

——00——

माह जुलाई–12 से फरवरी–13 के मध्य हुये नेशनल क्वालिटी मॉनीटर (एन.क्यू.एम.) निरीक्षण में 15 जिलों के कुल 36 सड़क निर्माण के कार्य असंतोषजनक (यू श्रेणी) पाये गये जो इसी अवधि के कुल निरीक्षण के 39 प्रतिशत है। इसमें पूर्ण श्रेणी के 6 एवं प्रगतिरत श्रेणी के 30 कार्य है। यह प्रतिशत पिछले 3 वर्षों में किये गये निरीक्षणों की तुलना में सर्वाधिक है यह स्थिति अत्यन्त गंभीर है।

इन निर्माण कार्यों की निरीक्षण टीपों के विश्लेषण से यह देखा गया कि निरीक्षण कराये गये कार्यों में से वर्ष 2007–08 या इसके पूर्व के 16 कार्य एवं वर्ष 2008–09 के 15 कार्य है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि महाप्रबंधकों के द्वारा काफी समय से निर्माणाधीन कार्यों को एन.क्यू.एम. को दिखाने का प्रयास किया गया। इससे यह भी प्रतीत होता है कि महाप्रबंधकों का प्रयास रहा है कि वे उनके कार्यकाल में हुये कार्यों में असंतोषजनक श्रेणी प्राप्त होने से बचने के लिये अधिक पुराने काम एन.क्यू.एम. को दिखाये। यह स्थिति स्वीकार्य नही है।

एन.क्यू.एम. निरीक्षण हेतु नवीन व्यवस्था के अनुरूप मार्गों का चयन करने के संबंध में पृथक से दिशा–निर्देश मुख्यालय के पत्र क्रमांक <u>4181 दिनांक 08.03.2013</u> द्वारा जारी किये गये है जो कि प्राधिकरण की वेबसाईट पर circular section में भी उपलब्ध है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह भी निर्देशित किया जाता है कि एन.क्यू.एम. निरीक्षण हेतु चयनित मार्गों की सूची में यदि कोई पुराना कार्य भी प्राथमिकता क्रम में आता है तो भी उस कार्य में असंतोषजनक श्रेणी प्राप्त होने पर वर्तमान प्रभारी महाप्रबंधक को भी पूर्व महाप्रबंधक, जिसके कार्यकाल में वह आयटम संपादित हुआ है, के साथ समान रूप से उत्तरदायी माना जावेगा, यदि महाप्रबंधक को इकाई में उपस्थित होकर 30 दिन से अधिक का समय हो गया हो। इसी प्रकार सहायक प्रबंधक, उपयंत्री, और सुपरवीजन कंसलटेंट भी वर्तमान और तत्कालीन दोनों बराबरी से उत्तरदायी होंगे, यदि उन्हें 30 दिन से अधिक का समय प्रभार में हो गया है।

कृपया कार्यों को निर्धारित गुणवत्ता एवं मापदंड अनुरूप संपादित किया जाना सुनिश्चित करें।

Deeea 23/3/13

(अलका उपाध्याय)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

पृ. क्र. 5963/22/वि-12 Tech./QC/T-4/N-52/1/ 2013 भोपाल, दिनांक 23 / 3 / 2013

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख अभियन्ता, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल।
2. मुख्य महाप्रबंधक (I, III, IV) म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं रीवा को सूचनार्थ।
3. महाप्रबंधक (समन्वय), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल को सूचनार्थ।
4. महाप्रबंधक (तक. IV) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल को सूचनार्थ।

मुख्य महाप्रबंधक-I
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल